

राजस्थान जयपुर
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-निसंशि/सस्था-2(कख)/स्थाना./2019/ 4898-4920/

दिनांक :- 08.03.2019

:: आदेश ::

राज्य हित में निम्नलिखित प्रधानाचार्य(वरिष्ठ उपाध्याय) का स्थानान्तरण स्वैच्छिक/प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थान | नवीन पदस्थापन स्थान | विशेष विवरण |
|----------|-----------------------|--------------|--|---|-------------|
| 1. | शिव दयाल शर्मा | प्रधानाचार्य | स्थानान्तरणाधीन राज.वरि. उपा.सं.वि., बोपिया- सीकर | राज.वरि.उपा.सं.वि., सैदपुरा - भरतपुर | रिक्त पद पर |
| 2. | प्रेमराज वर्मा | प्रधानाचार्य | स्थानान्तरणाधीन राज.वरि. उपा.सं.वि., विराटनगर - जयपुर | राज.वरि.उपा.सं.वि., शिवसिंहपुरा - जयपुर | रिक्त पद पर |
| 3. | विजेन्द्र कुमार शर्मा | प्रधानाचार्य | स्थानान्तरणाधीन राज.वरि. उपा.सं.वि., 35 एम.ओ.डी. हनुमानगढ़ | राज.वरि.उपा.सं.वि., गणेश्वर -सीकर | रिक्त पद पर |

नोट :- स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा। निर्वाचन कार्यों में कर्तव्यरूढ़ कार्मिकों के संबंध में कार्यमुक्ति प्रक्षम स्वीकृति के पश्चात की जावें।

(हरजी लाल अटल) 03
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
5. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित संकुल प्रभारी।
7. संबंधित शिक्षक।
8. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. व्यक्तिगत/संरक्षण पंजिका।

निदेशक 03

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर